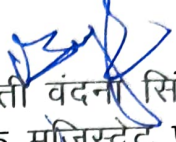


Order Sheet [Contd]

यू.एन.सी.आर.—.....

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding Officer	signature of parties or pleaders where necessar
11.11.2025	परिवादी द्वारा कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण न्यायशुल्क अदायगी हेतु नियत है। परिवादी अनुपस्थित व उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं। प्रकरण न्यायशुल्क प्रस्तुति हेतु नियत है। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी ने परिवाद वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया था, तत्समय से प्रकरण न्यायालय शुल्क अदायगी/पंजीयन पर तर्क हेतु नियत किया जा रहा है तथा पूर्व में दिनांक 28.01.2025 एवं 12.03.2025 को परिवादी को आवश्यक रूप से न्याय शुल्क अदा करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था परंतु आज भी परिवादी न तो न्यायालय में उपस्थित है और न ही उसके द्वारा प्रकरण में न्याय शुल्क अदा किया गया है। परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद पत्र के संबंध में प्रभार्य न्यायालय शुल्क की संदायगी हेतु अवसर की वांछा किये जाने पर विचारोपरांत माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत मुकेश तिवारी विरुद्ध श्रीमती जानकी सिंह , 2016 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 13 में प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है। प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा पूर्व में सम्यक् न्यायालय शुल्क की संदायगी के बिना व उक्त शुल्क का पश्चातवर्ती प्रक्रम पर संदाय किये जाने संबंधी शर्त के अधीन हस्तगत परिवाद पत्र पर विचार किया गया था, परंतु यह अवलोकनीय है कि हस्तगत मामले में दिनांक 05.12.2023 को परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त तिथि से प्रकरण निरंतर शेष न्यायालय शुल्क संदायगी हेतु नियत किया जा रहा है, तथापि परिवादी द्वारा उक्त अवधि में भी न्यायालय शुल्क का संदाय नहीं किया जा सका है। प्रकरण में न्यायालय शुल्क संदायगी हेतु पर्याप्त अवसर प्रदाय किये जा चुके हैं। परिवादी अथवा उनके अधिवक्ता आज अनुपस्थित है, उनकी अनुपसंजाति के संबंध में अभिलेख पर कोई पर्याप्त कारण भी विद्यमान नहीं है। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में यह प्रतिबिंबित होता है कि परिवादी को हस्तगत प्रकरण के अग्रेतर संचालन में कोई रुचि नहीं है। उपर्युक्त वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों के प्रकाश में परिवादी की अनुपस्थिति एवं न्यायालय शुल्क संदायगी में कारित अनावश्यक विलंब के कारण परिवाद पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में अंकित कर विहित समयावधि में	

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding Officer	signature of parties or pleaders where necessar
	अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।  श्रीमती वंदना सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर म.प्र.	